10 रु. कोर्ट फी COURT FEE INDIA भारत दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

5 रु. COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5

न्यायालय श्री मान् समक्ष (अध्यक्ष) सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

R 3151-III/13

राजस्व प्रकरण क्रमांक /13

बाबू लाल पिता श्री मुन्ना बुनकर, साकिन माधौगंज
तहसील अजयगढ़ जिला पन्ना म0प्र0 ---------निगरानीकर्ता

बनाम

शासन म0 प्र0 जिला पन्ना म0प्र0 ------------उत्तरार्थीगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 पुनरीक्षण म0प्र0भू0 राजस्व संहिता 1959, विरुद्ध आदेश कलेक्टर पन्ना 22/स्व.निग./2000-01 आदेश क्र.-2217/02 पारित

मान्यवर,

आवेदक/निगरानीकर्ता व पुनरीक्षण व पुनर्विलोकनकर्ता का निम्न लिखित निवेदन है :-

1. यह कि अनुविभागीय अजयगढ द्वारा दिनांक 22.11.1995 में तहसीलदार अजयगढ के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 19अ-19वर्ष 19994-95 में आदेश पारित कर दिनांक 28.2.95 में (व्यवस्थापन) किया गया था । जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा विधि एव प्रक्रिया का पालन करते हुये पूर्वक काल से चले आ रहे कब्जे के आधार पर व दस्तावेजो का अवलोकन कर एव स्थल निरीक्षण कर मौके की स्थिति को स्वयं देखकर गरीबी अनुपढ एव ग्रामीण परिवेश का जानते हुये विधि एव प्रकिया के अनुरूप व्यवस्थापन किया गया था जो सही व सत्य है । इसके पश्चात बिना किसी शिकायत के विरोधियों के कहने पर कूट (रचित) एव मनगढत के आधारों को लेकर श्री मान् कलेक्टर महोदय पन्ना द्वारा विधि एव प्रकिया के विरुद्ध आदेश पारित किया गया है चूंकि अब निगरानी का अधिकारी माननीय कमिश्नर महोदय को नही है इसलिये माननीय न्यायालय में निगरानी करने की आवश्यकता उत्पन्न हुयी है ।

2. यहकि निगरानीकर्ता बब्बू बुनकर आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसील अजयगढ के न्यायालय में एक आवेदन दिया गया था कि आवेदक के पूर्वक काल से ग्राम खोरा मझपटिया की शासकीय भूमि नम्बर (ख0) 313 रकबा 2.00हे0 पर उसका पूर्वक काल से व स्वयं द्वारा बीस वर्ष पूर्व से कब्जा है । अनावेदक (भूमि)हीन है अतः उक्त भूमि का (व्यवस्थापन) दखल रहित अधिनियम के तहत् उसके नाम किया जाये आवेदन के साथ खसरा, की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पंजीयन करने इश्तहार जारी कराने एवपटवारी

बाबूलाल
अं.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 3151/III/ 2013 जिला पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
3-4-2014	यह निगरानी कलेक्टर पन्ना व्दारा प्र. क. 22/2000–01 स्व.निगरानी में पारित आदेश दि. 22–7–2002 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक एंव म0प्र0शासन के पैनल अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये। 3/ आवेदक के अभिभाषक ने अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन में वर्णित तथ्यों पर बताया कि तहसीलदार अजयगढ़ ने प्रकरण कमांक 19 अ 19/94–95 में आदेश दि. 28–2–95 से आवेदक को भूमि व्यवस्थापित की है, जिसे कलेक्टर पन्ना ने स्वमेव निगरानी में आदेश दिनांक 22–7–02 से निरस्त कर दिया, जिसकी जानकारी दिनांक 16–8–13 को प्राप्त हुई, तब जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु रसीद कटवाई, जो संलग्न है। आवेदक ग्रामीण है व अनपढ़ है जानकारी के दिन से निगरानी करने में विलम्ब नहीं हुआ है जो हुआ है उसे माफ किया जावे। शासन के पैनल लायर ने बताया कि निगरानी अत्याधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है इसलिये निरस्त की जावे। 4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर	

विचार करने एंव निगरानी मेमो के तथ्यों से पाया गया कि यह निगरानी कलेक्टर पन्ना के आदेश दिनांक 22–7–2002 के विरूद्व न्यायालय में दिनांक 19–8–2013 को अर्थात 11 वर्ष से अधिक समय वाद प्रस्तुत की गई है। अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन में ऐसा कोई प्रमुख आधार नहीं बताया गया है कि आवेदक को कलेक्टर के आदेश की जानकारी 11 वर्ष तक क्यों नहीं हुई, जबकि जुलाई 2002 में आवेदक को आवंटित भूमि शासकीय घोषित की जाकर शासन हित में कब्जा प्राप्त कर लिया गया है।

1. भू–राजस्व संहिता,1959 (म.प्र.)–धारा–47 एंव परिसीमा अधिनियम, 1963 – धारा 5 – विलंब माफी हेतु आवेदन – आदेश की जानकारी का श्रोत सही नहीं दर्शाया गया – प्रत्येक दिन के विलंब का स्पष्टीकरण नहीं दिया – विलंब माफ नहीं किया जा सकता।
2. म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959– धारा 47 – अनुचित विलम्ब को क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वित्तीय पक्षकार को प्रोदभूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता।

अतएव निगरानी अत्याधिक विलम्ब से प्रस्तुत होने के कारण सुनवाई योग्य नहीं होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, ग्वालियर